

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 10 /2025-State Tax (Rate)

Dated: 22/09/2025

No. F.3 (22)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/925 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), , and in supersession of the Government's Notification No. 02/2017- State Tax (Rate) dated 30-06-2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated 30th June, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Schedule appended to this notification, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, from the whole of the State tax leviable thereon under section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017).

SCHEDULE

S. No.	Chapter/Heading/Sub-heading/Tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Live asses, mules and hinnies
2.	0102	Live bovine animals
3.	0103	Live swine
4.	0104	Live sheep and goats
5.	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls
6.	0106	Other live animals such as Mammals, Birds, Insects
7.	0201	Meat of bovine animals, fresh or chilled
8.	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	All goods, fresh or chilled
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
10.	03	Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]

11.	0301	Live fish
12.	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, fresh or chilled
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	All goods, other than fresh or chilled, and other than pre-packaged and labelled
15.	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter, UHT milk
16.	0403	Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled
17.	0406	Chena or paneer, whether or not pre-packaged and labelled
18.	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
19.	0409	Natural honey, other than pre-packaged and labelled
20.	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
21.	0504	All goods, fresh or chilled
22.	0504	All goods, other than fresh or chilled, other than pre-packaged and labelled
23.	0506	All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products
24.	0507 90	All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc.
25.	0511	Semen including frozen semen
26.	6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
27.	0701	Potatoes, fresh or chilled
28.	0702	Tomatoes, fresh or chilled
29.	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled
30.	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled
31.	0705	Lettuce (<i>Lactuca sativa</i>) and chicory (<i>Cichorium</i> spp.), fresh or chilled
32.	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled
33.	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled
34.	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
35.	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
36.	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
37.	0711	Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption
38.	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared
39.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not

		skinned or split other than pre-packaged and labelled
40.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled, dried; sago pith.
41.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, other than pre-packaged and labelled
42.	08	Dried makhana, whether or not shelled or peeled, other than pre-packaged and labelled
43.	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
44.	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
45.	0802	Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (<i>Corylus</i> spp.), walnuts, Chestnuts (<i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (<i>Cola</i> spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
46.	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried
47.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.
48.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) and limes (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresh.
49.	0806	Grapes, fresh
50.	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh
51.	0808	Apples, pears and quinces, fresh
52.	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh
53.	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus <i>vaccinium</i> , Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh
54.	0813	Tamarind dried
55.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
56.	07, 09 or 10	All goods of seed quality
57.	0901	Coffee beans, not roasted
58.	0902	Unprocessed green leaves of tea
59.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries of seed quality
60.	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
61.	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
62.	1001	Wheat and meslin, other than pre-packaged and labelled
63.	1002	Rye, other than pre-packaged and labelled
64.	1003	Barley, other than pre-packaged and labelled

65.	1004	Oats, other than pre-packaged and labelled
66.	1005	Maize (corn), other than pre-packaged and labelled
67.	1006	Rice, other than pre-packaged and labelled
68.	1007	Grain sorghum, other than pre-packaged and labelled
69.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi, other than pre-packaged and labelled
70.	1101	Wheat or meslin flour, other than pre-packaged and labelled
71.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, maize (corn) flour, rye flour etc, other than pre-packaged and labelled
72.	1103	Cereal groats, meal and pellets, other than pre-packaged and labelled
73.	1104	Cereal grains hulled
74.	1105	Flour, meal, powder, flakes, granules or pellets of potatoes, other than pre-packaged and labelled
75.	1106	Flour, meal, powder of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal (HS 1106 10 10) and guar gum refined split (HS 1106 10 90)], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. other than pre-packaged and labelled
76.	1106 10 10	Guar meal
77.	12	All goods of seed quality
78.	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality
79.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality
80.	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality
81.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality
82.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality
83.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamus tinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality
84.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. Explanation: This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing
85.	1210	Hop cones, fresh
86.	1210 10 00	Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets
87.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled
88.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled
89.	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
90.	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar

		forage products, whether or not in the form of pellets
91.	1301	Lac and Shellac
92.	1401	Sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass
93.	1404 90 40	Betel leaves
94.	1404 90 60	Coconut shell, unworked
95.	1404 90 90	Vegetable materials, for manufacture of jhadoo or broom sticks
96.	1701 or 1702	(i) Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labelled (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled (iii) Rab, other than pre-packaged and labelled
97.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labelled
98.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, other than pre-packaged and labelled
99.	1905	Pappad, by whatever name it is known
100.	1905 or 2106	Khakhra; Bread (branded or otherwise), Pizza bread, roti, chapathi, paratha, parotta and other Indian breads by any name called
101.	2009 89 90	Tender coconut water other than pre-packaged and labelled
102.	2106	Prasadam supplied by religious places like temples, mosques, churches, gurudwaras, dargahs, etc
103.	2201	Water (other than aerated, mineral, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed unit container)
104.	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera
105.	2301, 2302, 2308, 2309	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, wheat bran and de-oiled cake other than rice bran
106.	2306	De-oiled rice bran
107.	2306	Cotton seed oil cake
108.	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka, Concentrates including chuni or churi, Khanda
109.	2501	Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water
110.	26	Uranium Ore concentrate
111.	2716 00 00	Electrical energy
112.	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
113.	30 or any other Chapter	Drugs or medicines listed in Annexure I
114.	3002	Human Blood and its components

115.	3006	All types of contraceptives
116.	3101	All goods and organic manure, other than pre-packaged and labelled
117.	3304	Kajal (other than kajal pencil sticks), Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
118.	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
119.	3926	Plastic bangles
120.	4014	Condoms and contraceptives
121.	4016	Erasers
122.	4401	Firewood or fuel wood
123.	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
124.	44 or 68	Deities made of stone, marble or wood
125.	46	Khali Dona; Goods made of sal leaves, siali leaves, sisal leaves, sabai grass, including sabai grass rope
126.	46	Plates and cups made up of all kinds of leaves/flowers/bark
127.	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorized by the Government
128.	4802	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 4801 or 4803, used for exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
129.	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government
130.	4820	Exercise book, graph book, laboratory note book and notebooks
131.	48 or 4907 or 71	Ruppee notes or coins when sold to Reserve Bank of India or the Government of India
132.	4901	Printed books, including Braille books
133.	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material
134.	4903	Children's picture, drawing or colouring books
135.	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or illustrated
136.	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
137.	4907	Duty Credit Scrips
138.	5001	Silkworm laying, cocoon
139.	5002	Raw silk
140.	5003	Silk waste
141.	5101	Wool, not carded or combed
142.	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
143.	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair
144.	52	Gandhi Topi, Khadi yarn
145.	50 to 55	Khadi fabric, sold through Khadi and Village Industries

		Commission(KVIC) and KVIC certified institutions/outlets
146.	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
147.	5305	Coconut, coir fibre
148.	53	Coir pith compost other than pre-packaged and labelled
149.	63	Indian National Flag
150.	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
151.	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps
152.	69	Idols made of clay
153.	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
154.	7117	Bangles of lac/shellac
155.	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry other than ghamella.
156.	8214	Pencil sharpeners
157.	8445	Charkha for hand spinning of yarns, including amber charkha
158.	8446	Handloom [weaving machinery]
159.	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
160.	9021	Hearing aids
161.	92	Indigenous handmade musical instruments as listed in Annexure II
162.	9603	Muddhas made of sarkanda, Brooms or brushes, consisting of twigs or other vegetable materials, bound together, with or without handles
163.	9608,9609	Pencils (including propelling or sliding pencils), crayons, pastels, drawing charcoals, writing or drawing chalksand tailor's chalk; Slate pencils and chalk sticks
164.	9610 00 00	Slates
165.	9619 00 10 or 9619 00 20	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins; tampons
166.	9803	Passenger baggage
167.	Any chapter	Puja samagri namely:- (i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsikanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (ii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit); (iii) Wooden khadau; (iv) Panchamrit, (v) Vibhuti, (vi) Unbranded honey (vii) Wick for diya.

		(viii) Roli (ix) Kalava (Raksha sutra) (x) Chandan tika
168.	-	Supply of lottery by any person other than State Government, Union Territory or Local authority subject to the condition that the supply of such lottery has suffered appropriate Central tax, State tax, Union Territory tax or integrated tax, as the case may be, when supplied by State Government, Union Territory or local authority, as the case may be, to the lottery distributor or selling agent appointed by the State Government, Union Territory or local authority, as the case may be.
169.	-	Supply of goods by a Government Entity to Central Government, State Government, Union Territory, Local Authority or any person specified by Central Government, State Government, Union Territory or Local Authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union Territory or Local Authority in the form of grants
170.	Any Chapter	Parts for manufacture of hearing aids
171.	Any Chapter except 71	Rakhi (other than those made of goods falling under Chapter 71)
172.	Any Chapter	Supply of gift items received by the President, Prime Minister, Governor or Chief Minister of any State or Union territory, or any public servant, by way of public auction by the Government, where auction proceeds are to be used for public or charitable cause.

Explanation.- For the purposes of this Schedule,-

(a) the expressions, -

- (i) "unit container" means a package, whether large or small (for example, tin, can, box, jar, bottle, bag, or carton, drum, barrel, or canister) designed to hold a pre-determined quantity or number, which is indicated on such package;
- (ii) "pre-packaged and labelled" means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre, which are "pre-packed" as defined in clause (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder;
- (iii) "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);
- (iv) "Government Entity" shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is-
 - (a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with 90 percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State Government, Union Territory or a Local Authority;

(b) the rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September, 2025.

Annexure-I
[See S. No. 113 of the Schedule]

List of drugs or medicines	
1.	Gene Therapy
2.	Agalsidase Beta
3.	Imiglucerase
4.	Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa
5.	Onasemnogeneabeparvovec
6.	Asciminib
7.	Mepolizumab
8.	Pegylated Liposomal Irinotecan
9.	Daratumumab
10.	Daratumumab subcutaneous
11.	Teclistamab
12.	Amivantamab
13.	Alectinib
14.	Risdiplam
15.	Obinutuzumab
16.	Polatuzumabvedotin
17.	Entrectinib
18.	Atezolizumab
19.	Spesolimab
20.	Velaglucerase Alpha
21.	Agalsidase Alfa
22.	Rurioctocog Alpha Pegol
23.	Idursulphatase
24.	Alglucosidase Alfa
25.	Laronidase
26.	Olipudase Alfa

27.	Tepotinib
28.	Avelumab
29.	Emicizumab
30.	Belumosudil
31.	Miglustat
32.	Velmanase Alfa
33.	Alirocumab
34.	Evolocumab
35.	Cystamine Bitartrate
36.	CI-Inhibitor injection
37.	Inclisiran

Annexure-II
[See S. No. 161 of the Schedule]

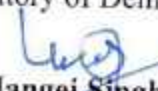
List of indigenous handmade musical instruments	
1.	Bulbul Tarang
2.	Dotar, Dotor, or Dotara
3.	Ektara
4.	GetchuVadyam or Jhallari
5.	Gopichand or Gopiyantra or Khamak
6.	Gottuvadhyam or Chitravina
7.	Katho
8.	Sarod
9.	Sitar
10.	Surbahar
11.	Surshringar
12.	Swarabat
13.	Swarmandal
14.	Tambura
15.	Tumbi
16.	Tuntuna
17.	Magadi Veena
18.	Hansaveena
19.	Mohan Veena
20.	Nakula Veena
21.	Nanduni
22.	Rudra Veena
23.	Saraswati Veena

24.	Vichitra Veena
25.	Yazh
26.	Ranjan Veena
27.	Triveni Veena
28.	Chikara
29.	Dilruba
30.	Ektara violin
31.	Esraj
32.	Kamaicha
33.	Mayuri Vina or Taus
34.	Onavillu
35.	Behala(violin type)
36.	Pena or Bana
37.	Pulluvan veena - one stringed violin
38.	Ravanahatha
39.	Folk sarangi
40.	Classical sarangi
41.	Sarinda
42.	Tar shehnai
43.	Gethu or Jhallari
44.	Gubguba or Jamuku - Percussion string instrument
45.	Pulluvankutam
46.	Santoor - Hammered chord box
47.	Pepa
48.	Pungi or Been
49.	Indian Harmonium: Double reed
50.	Kuzhal
51.	Nadaswaram
52.	Shehnai
53.	Sundari
54.	Tangmuri
55.	Alghoza - double flute
56.	Bansuri
57.	Venu (Carnatic flute) Pullanguzhal
58.	Mashak
59.	Titti
60.	Sruti upanga
61.	Gogona
62.	Morsing

63.	Shruti box
64.	Harmonium (hand-pumped)
65.	Ekkalam
66.	Karnal
67.	Ramsinga
68.	Kahal
69.	Nagphani
70.	Turi
71.	Dhad
72.	Damru
73.	Dimadi
74.	Dhol
75.	Dholak
76.	Dholki
77.	Duggi
78.	Ghat singhari or gada singari
79.	Ghumot
80.	Gummeta
81.	Kanjira
82.	Khol
83.	Kinpar and Dhobar (tribal drums)
84.	Maddale
85.	Maram
86.	Mizhavu
87.	Mridangam
88.	Pakhavaj
89.	Pakhavaj jori - Sikh instrument similar to tabla
90.	Panchamukhavadyam
91.	Pung
92.	Shuddha madalam or Maddalam
93.	Tabala/tabla/chameli - goblet drum
94.	Tabla
95.	Tablatarang - set of tablas
96.	Tamte
97.	Thanthi Panai
98.	Thimila
99.	Tumbak, tumbaknari, tumbaknaer
100.	Daff, duff, daf or dufDimdi or dimri - small frame drum without jingles
101.	Kanjira - small frame drum with one jingle

102.	Kansi - small without jingles
103.	Patayanithappu - medium frame drum played with hands
104.	Chenda
105.	Dollu
106.	Dhak
107.	Dhol
108.	Dholi
109.	Idakka
110.	Thavil
111.	Udukai
112.	Chande
113.	Nagara - pair of kettledrums
114.	Pambai - unit of two cylindrical drums
115.	Parai thappu, halgi - frame drum played with two sticks
116.	Sambal
117.	Stick daff or stick duff - daff in a stand played with sticks
118.	Tamak
119.	Tasha - type of kettledrum
120.	Urumee
121.	JaltarangChimpta - fire tong with brass jingles
122.	Chengila - metal disc
123.	Elathalam
124.	Geger - brass vessel
125.	Ghatam and Matkam (Earthenware pot drum)
126.	Ghungroo
127.	Khartal or Chiplya
128.	Manjeera or jhanj or taal
129.	Nut - clay pot
130.	Sankarjang - lithophone
131.	Thali - metal plate
132.	Thattukazhimannai
133.	Kanch tarang, a type of glass harp
134.	Kashtha tarang, a type of xylophone.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Mangej Singh)
Dy. Secretary (Fin.)

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Mangej Singh)

Dy. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई .पी .एस्टेट : नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 10/2025-राज्य कर (दर)

दिनांक 22/09/2025

फा0सं0 3(22)/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/ 925 दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30 जून, 2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(व्यय-1)/2017-18/डीएस-VI/374, के द्वारा, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सरकार की दिनांक 30-06-2017 अधिसूचना संख्या 02/2017- राज्य कर (दर), के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद द्वारा राज्य के भीतर माल की आपूर्ति, जिसका विवरण इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो टैरिफ मद, उप-शीर्षक, शीर्षक या अध्याय के अंतर्गत आती है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में यथा निर्दिष्ट है, को दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण राज्य कर से छूट दी जाती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101	जीवित गधे, खच्चर और हित्रियां
2.	0102	जीवित गोवंशीय पशु
3.	0103	जीवित सूअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरियां
5.	0105	जीवित मुर्गी, अर्थात्, गैलस डोमेस्टिकस प्रजाति के मुर्गे, बत्तख, हंस, टर्की और गिनी फाउल
6.	0106	अन्य जीवित जानवर जैसे स्तनधारी, पक्षी, कीड़े
7.	0201	गोवंशीय पशुओं का मांस, ताजा या ठंडा
8.	0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209	सभी माल, ताजा या ठंडा
9.	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के - अलावा
10.	03	मछली के बीज, झींगाश्रिम्प के बीज चाहे संसाधित/ उपचारित या जमी हुई अवस्था में हों [अध्याय 3 के अंतर्गत आने वाले और 2.5% आकर्षित करने वाले माल के अलावा]
11.	0301	जीवित मछली
12.	0302	मछली, ताजी या ठंडी, शीर्षक 0304 की मछली पट्टिका और (फिलेट्स) अन्य मछली मांस को छोड़कर
13.	0304, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडा
14.	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, और प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के - अलावा

15.	0401	ताजा दूध और पाशुपरीकृत दूध, जिसमें अलग किया हुआ दूध, दूध और क्रीम शामिल है, जिसमें चीनी या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ नहीं मिलाए गए हैं, यूएचटी दूध
16.	0403	दही, लस्सी, छाछ, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
17.	0406	छेना या पनीर, चाहे प्रीपैकेज्ड और लेबल किया हो या नहीं-
18.	0407	पक्षियों के अंडे, छिलके सहित, ताजा, संरक्षित या पके हुए
19.	0409	प्राकृतिक शहद, प्री पैकेज्ड और लेबल-वाले के अलावा
20.	0501	मानव बाल, असंसाधित, चाहे धोया या साफ किया गया हो या नहीं; मानव बाल का अपशिष्ट
21.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडा
22.	0504	सभी माल, ताजा या ठंडे के अलावा, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के - अलावा
23.	0506	सभी माल अर्थात् हड्डियाँ और सींगकोर-, असंसाधित, वसा रहित, सामान्य रूप से तैयार (लेकिन आकार में नहीं काटा गया), एसिड या जिलेटिनयुक्त के साथ उपचारित; इन उत्पादों का पाउडर और अपशिष्ट
24.	0507 90	सभी माल अर्थात् खुर का आटा; सींग का आटा; खुर, पंजे, नाखून और चोंच; सींग आदि।
25.	0511	वीर्य जिसमें जमे हुए वीर्य शामिल हैं
26.	6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और इसी तरह; कटे हुए फूल और सजावटी पत्ते
27.	0701	आलू, ताजा या ठंडा
28.	0702	टमाटर, ताजा या ठंडा
29.	0703	प्याज, शलोट, लहसुन, लीक और अन्य एलियासियस सब्जियाँ, ताजा या ठंडी
30.	0704	पत्तागोभी, फूलगोभी, कोल्हाबी, केल और इसी तरह की खाद्य ब्रेसिका, ताजा या ठंडी
31.	0705	लेट्यूस (.सिकोरियम एसपीपी) और चिकोरी (लैक्टुका सैटिवा), ताजा या ठंडा
32.	0706	गाजर, शलजम, सलाद चुकंदर, साल्सिफाई, सेलेरियक, मूली और इसी तरह की खाद्य जड़ें, ताजा या ठंडी
33.	0707	खीरे और घेरकिन्स, ताजा या ठंडे
34.	0708	फलीदार सब्जियाँ, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, ताजा या ठंडी।
35.	0709	अन्य सब्जियाँ, ताजा या ठंडी।
36.	0710	सब्जियाँ बिना पकी हुई या भाप द्वारा)पकाई गयी या पानी में उबाली गयी, (जमी हुई
37.	0711	सब्जियाँ अस्थायी रूप से संरक्षित, लेकिन उस स्थिति में तत्काल उपभोग के लिए अनुपयुक्त
38.	0712	सूखी सब्जियाँ, साबुत, कटी हुई, टुकड़ों में, टूटी हुई या पाउडर के रूप में, लेकिन आगे तैयार नहीं की गई
39.	0713	सूखी फलीदार सब्जियाँ, छिलके वाली, चाहे छिलका उतारा गया हो या विभाजित किया गया हो, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
40.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, ताजा या ठंडा, सूखा; साबूदाना।
41.	0714	कसावा, अरारोट, सालेप, यरूशलेम आटिचोक, शकरकंद और उच्च स्टार्च या इनुलिन सामग्री वाली समान जड़ें और कंद, जमी हुई, चाहे

		दुकड़ों में या छरों के रूप में, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
42.	08	सूखा मखाना, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं, प्रीपैकेज्ड और - लेबल वाले के अलावा
43.	0801	नारियल, ताजा या सूखा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
44.	0801	ब्राजील नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
45.	0802	अन्य मेवे, ताजा जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फिलबर्ट्स (कोरीलस एसपीपी), अखरोट, चेस्टनट (कस्टेनिया एसपीपी), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी), सुपारी, पाइन नट्स, ताजा, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या नहीं
46.	0803	केले, जिसमें प्लॉटैन भी शामिल है, ताजा या सूखे
47.	0804	खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन, ताजा।
48.	0805	खट्टे फल, जैसे संतरे, मॅडरिन (सत्सुमस और टेंगेरिस सहित) ब्लैकबेरी, विल्किंस और इसी तरह के खट्टे संकर, ग्रेपफ्रूट, जिसमें पोमेलो, नींबू (सिट्रस लिमोन, सिट्रस लिमोनाम) तथा लाइम (सिट्रस ओरेंटीफ़ोलिया, सिट्रस लैटिफ़ोलिया शामिल हैं, ताज़ा
49.	0806	अंगूर, ताजा
50.	0807	खरबूजे और पपीते (तरबूज सहित), ताजा
51.	0808	सेब, नाशपाती और किंस, ताजा
52.	0809	खुबानी, चेरी, आड़ू (नेक्टरीन सहित), प्लम और स्लो, ताजा
53.	0810	अन्य फल जैसे स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, शहतूत और लोगानबेरी, काले, सफेद या लाल करंट और गूजबेरी, क्रेनबेरी, बिलबेरी और जीनस वैक्सीनियम के अन्य फल, कीवी फल, ड्यूरियन, पर्सिमॉन, अनार, इमली, सपोटा (चीकू), कस्टर्ड(आता) एप्पल-, बोर, लीची, ताजा
54.	0813	सूखी इमली
55.	0814	खट्टे फलों या खरबूजे के छिलके (तरबूज सहित), ताजा।
56.	07, 09 या 10	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
57.	0901	कॉफी बीन्स, भुनी हुई नहीं
58.	0902	चाय की असंसाधित हरी पत्तियां
59.	0909	सौंफ, बादाम, सौंफ, धनिया, जीरा या कैरवे के बीज; बीज की गुणवत्ता वाले जुनिपर बेरीज
60.	0910 11 10	ताजा अदरक, संसाधित रूप के अलावा
61.	0910 30 10	ताजा हल्दी, संसाधित रूप के अलावा
62.	1001	गेहूं और मेसलिन, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
63.	1002	राई, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
64.	1003	जौ, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
65.	1004	जई, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
66.	1005	मक्का (कॉर्न), प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
67.	1006	चावल, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
68.	1007	अनाज ज्वार, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
69.	1008	बकवीट, बाजरा और कनारी बीज; अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
70.	1101	गेहूं या मेसलिन का आटा, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
71.	1102	गेहूं या मेसलिन के अलावा अनाज का आटा, मक्का का आटा (कॉर्न), राई का आटा आदि, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-

72.	1103	अनाज का दलिया, भोजन और छर्रे, प्रीपैकड और लेबल वाले के अलावा
73.	1104	छिलका उतरे हुए अनाज
74.	1105	आलू का आटा, भोजन, पाउडर, फ्लेक्स, दाने या छर्रे, प्रीपैकेज्ड और - लेबल वाले के अलावा
75.	1106	शीर्ष 0713 (दालें) की सूखी फलीदार सब्जियों का आटा, मिल, पाउडर [ग्वार मिल (एचएस 1106 10 10) और ग्वार गम रिफाईंड स्प्लिट (एचएस 1106 10 90) के अलावा], शीर्ष 0714 के साबूदाना या जड़ों या कंदों का या अध्याय 8 के उत्पादों का अर्थात इमली, सिंगोड़ा, आम का आटा, आदि, प्रीपैकड और लेबल वाले के अलावा
76.	1106 10 10	ग्वार मील
77.	12	बीज की गुणवत्ता वाले सभी माल
78.	1201	सोयाबीन, चाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता का
79.	1202	मूंगफली, भुनी हुई या अन्यथा पकाई हुई नहीं, चाहे छिलका उतारा हुआ हो या टूटा हुआ, बीज की गुणवत्ता का
80.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता का
81.	1205	रेप या कोल्जा के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
82.	1206	सूरजमुखी के बीज, चाहे टूटे हुए हों या नहीं, बीज की गुणवत्ता के
83.	1207	अन्य तिलहन और तैलीय फल यानी ताड़ के नट और गिरी), कपास के बीज, अरंडी के तेल के बीज, तिल के बीज, सरसों के बीज, कुसुम (कार्थमस टिकटोरियस) के बीज, खरबूजे के बीज, खसखस के बीज, अजवायन, आम की गिरी, नाइजर बीज, को कमचाहे टूटा हुआ हो या नहीं, बीज की गुणवत्ता
84.	1209	बीज, फल और बीजाणु, जो बोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। स्पष्टीकरण इस प्रविष्टि में बोने के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं हैं
85.	1210	हॉप शंकु, ताजा
86.	1210 10 00	हॉप शंकु, न तो पिसे हुए और न ही पाउडर के रूप में और न ही छर्रे के रूप में
87.	1211	पौधे और पौधों के हिस्से (बीज और फल सहित), जो मुख्य रूप से इत्र, फार्मेसी या कीटनाशक, कवकनाशी या इसी तरह के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताजा या ठंडा
88.	1212	टिड्डी बीन्स, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकंदर और गन्ना, ताजा या ठंडा
89.	1213	अनाज का भूसा और भूसी, बिना तैयारी के, चाहे कटा हुआ, पिसा हुआ, दबाया हुआ या छर्रे के रूप में हो
90.	1214	स्वीड, मैंगोल्ड, चारा जड़ें, घास, ल्यूसर्न (अल्फाल्फा), तिपतिया घास, सेनफोइन, चारा केल, ल्यूपिन, वेच और इसी तरह के चारा उत्पाद, चाहे छर्रे के रूप में हों या नहीं
91.	1301	लाख और चपड़ा
92.	1401	साल के पत्ते, सियाली के पत्ते, सिसल के पत्ते, सबाई घास
93.	1404 90 40	पान के पत्ते
94.	1404 90 60	नारियल का खोल, असंसाधित
95.	1404 90 90	झाड़ू या झाड़ू की छड़ें बनाने के लिए वनस्पति सामग्री
96.	1701 या 1702	(i) सभी प्रकार का गुड़, जिसमें गन्ने का गुड़, ताड़ का गुड़ शामिल है, प्री) पैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-ii) खांडसारी चीनी, प्रीपैकेज्ड - और लेबल वाले के अलावा)iii) राब, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के - अलावा

97.	1901	बाजरे के आटे का खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के हिसाब से कम से कम 70% बाजरा हो, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के - अलावा
98.	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिड़ा के नाम से जाना जाता है, भुना हुआ चावल, जिसे आमतौर पर खोई के नाम से जाना जाता है, चीनी या गुड़ से लेपित भुना हुआ धान या चावल, जिसे आमतौर पर मुरकी के नाम से जाना जाता है, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के - अलावा
99.	1905	पापड़, चाहे किसी भी नाम से जाना जाए
100.	1905 या 2106	खाखरा; ब्रेड (ब्रांडेड या अन्यथा), पिज्जा ब्रेड, रोटी, चपाती, पराठा, परोटा और किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अन्य भारतीय ब्रेड
101.	2009 89 90	कच्चा नारियल पानी, प्री पैकेज्ड और लेबल वाले के-अलावा
102.	2106	धार्मिक स्थानों जैसे मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों, गुरुद्वारों, दरगाहों आदि द्वारा आपूर्ति किया गया प्रसादम
103.	2201	पानी वातायित), खनिज, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, विखनिज - (और सीलबंद इकाई कंटेनर में बेचे जाने वाले पानी के अलावा
104.	2201	गैर अल्कोहल-वाली ताड़ी, नीरा जिसमें खजूर और ताड़ की नीरा शामिल है
105.	2301, 2302, 2308, 2309	जलीय चारा जिसमें झींगा चारा और ग्रॉन चारा, पोल्ट्री चारा और पशु चारा शामिल है, जिसमें घास, भूसा और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की चोकर और डीशामि (चावल की भूसी के अलावा) ऑयल्ड केक-ल हैं
106.	2306	डीऑयल्ड चावल की भूसी-
107.	2306	बिनौला की खली
108.	2302, 2309	दालों की भूसी जिसमें छिलका, सांद्र जिसमें चुनी या चूरी, खंडा शामिल हैं
109.	2501	नमक और शुद्ध सोडियम (टेबल नमक और विकृत नमक सहित) क्लोराइड, चाहे जलीय घोल में हो या जिसमें एंटीकेकिंग या फ्री-फ्लोइंग एजेंट मिलाए गए हों; समुद्री जल
110.	26	यूरेनियम अयस्क सांद्र
111.	2716 00 00	विद्युत ऊर्जा
112.	2835	पशु आहार ग्रेड का डाइकैल्शियम फॉस्फेट जो (डीसीपी)IS विनिर्देश संख्या 5470: 2002 के अनुरूप है
113.	30 या कोई अन्य अध्याय	अनुबंध 1 में सूचीबद्ध दवाएं या औषधियाँ
114.	3002	मानव रक्त और उसके घटक
115.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
116.	3101	सभी माल और जैविक खाद, प्रीपैकेज्ड और लेबल वाले के अलावा-
117.	3304	काजल (काजल पेंसिल स्टिक के अलावा), कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, आलता
118.	3825	नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
119.	3926	प्लास्टिक की चूड़ियाँ
120.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
121.	4016	रबर
122.	4401	जलाने की लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
123.	4402	लकड़ी का कोयला (खोल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे

		एग्लोमेरेटेड हो या नहीं
124.	44 या 68	पत्थर, संगमरमर या लकड़ी से बनी मूर्तियाँ
125.	46	खाली दोना; साल के पत्तों, सियाली के पत्तों, सिसल के पत्तों, सबई घास से बनी वस्तुएं, जिसमें सबई घास की रस्सी भी शामिल है
126.	46	सभी प्रकार के पत्तोंछाल से बनी प्लेटें और कप/फूलों/
127.	4802 / 4907	न्यायिक, गैरन्यायिक स्टॉप पेपर-, कोर्ट फीस स्टॉप जब सरकारी खजाने या सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं द्वारा बेचे जाते हैं
128.	4802	बिना लेपित कागज और पेपरबोर्ड, जो लिखने, छपाई या अन्य ग्राफिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, रोल या आयताकार (वर्ग सहित) शीट में, किसी भी आकार का, शीर्षक 4801 या 4803 के कागज के अलावा, जो व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक के लिए उपयोग किया जाता है
129.	4817 / 4907	डाक सामग्री, जैसे लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि, जो सरकार द्वारा बेचे जाते हैं
130.	4820	व्यायाम पुस्तिका, ग्राफ बुक, प्रयोगशाला नोटबुक और नोटबुक
131.	48 या 4907 या 71	रुपये के नोट या सिक्के जब भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार को बेचे जाते हैं
132.	4901	मुद्रित पुस्तकें, ब्रेल पुस्तकों सहित
133.	4902	समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पत्रिकाएँ, चाहे सचित्र हों या विज्ञापन सामग्री युक्त हों
134.	4903	बच्चों की चित्र, ड्राइंग या रंग भरने वाली किताबें
135.	4904 00 00	संगीत, मुद्रित या पांडुलिपि में, चाहे जिल्दबद्ध हो या सचित्र हो
136.	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार मानचित्र, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित
137.	4907	ऊ्यूटी क्रेडिट स्क्रिप
138.	5001	रेशम के कीड़े का अंडा, कोकून
139.	5002	कच्चा रेशम
140.	5003	रेशम अपशिष्ट
141.	5101	ऊन, कार्डेड या कंघी नहीं किया हुआ
142.	5102	महीन या मोटे पशु बाल, कार्डेड या कंघी नहीं किए हुए
143.	5103	ऊन या महीन या मोटे पशु बालों का अपशिष्ट
144.	52	गांधी टोपी, खादी धागा
145.	50 से 55	खादी का कपड़ा, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रमाणित संस्थानों/आउटलेट्स के माध्यम से बेचा जाता है
146.	5303	जूट फाइबर, कच्चा या संसाधित लेकिन काता नहीं गया
147.	5305	नारियल, कॉयलर फाइबर
148.	53	कॉयलर पिथ कम्पोस्ट, प्री पैकेज्ड और लेबल वाले के-अलावा
149.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
150.	6703	मानव बाल, संवारे हुए, पतले, ब्लीच किए हुए या अन्यथा काम किए हुए
151.	6912 00 40	मिट्टी का बर्तन और मिट्टी के दीपक
152.	69	मिट्टी से बनी मूर्तियाँ
153.	7018	कांच की चूड़ियाँ (कीमती धातुओं से बनी चूड़ियों को छोड़कर)
154.	7117	लाखचपड़ा की चूड़ियाँ/
155.	8201	कृषि उपकरण जो हाथ से या पशुओं द्वारा चलाए जाते हैं, यानी हाथ के

		औजार, जैसे फावड़ा, बेलचा, कुदाल, गैती, कुदाल, कांटा और रेक; कुल्हाड़ी, बिल हुक और इसी तरह के काटने के उपकरण; किसी भी प्रकार के सिकेटर और प्रूनर; दरांती, हँसिया, घास काटने वाले चाकू, हेज शियर्स, लकड़ी की कीलें और कृषि, बागवानी या वानिकी में उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण, घमेला के अलावा।
156.	8214	पेंसिल शार्पनर
157.	8445	सूत की हाथ से कताई के लिए चरखा, जिसमें अंबर चरखा भी शामिल है
158.	8446	हथकरघा [बुनाई मशीनरी]
159.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान और सबऑर्बिटल और अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) प्रक्षेपण वाहन
160.	9021	श्रवण यंत्र
161.	92	अनुबंध II में सूचीबद्ध स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र
162.	9603	सरकंडा से बने मुट्ठे, झाड़ू या ब्रश, जिसमें टहनियाँ या अन्य वनस्पति सामग्री होती है, एक साथ बंधी होती है, हैंडल के साथ या बिना
163.	9608,9609	पेंसिल (प्रोपेलिंग या स्लाइडिंग पेंसिल सहित), क्रेयॉन, पेस्टल, ड्राइंग चारकोल, लिखने या ड्राइंग चॉक और दर्जी का चॉक; स्लेट पेंसिल और चॉक स्टिक
164.	9610 00 00	स्लेट
165.	9619 00 10 या 9619 00 20	सैनिटरी टॉवेल या सैनिटरी नैपकिन (पैड); टैम्पोन
166.	9803	यात्री सामान
167.	कोई अध्याय	पूजा सामग्री अर्थात्:- (i) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसीकंठी माला, पंचगव्य (गोबर, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण); (ii) पवित्र धागा (आमतौर पर यज्ञोपवीत के रूप में जाना जाता है); (iii) लकड़ी का खड़ाऊ; (iv) पंचामृत, (v) विभूति, (vi) अनब्रांडेड शहद (vii) दीये के लिए बाती। (viii) रोली (ix) कलावा (रक्षा सूत्र) (x) चंदन टीका
168.	-	राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लॉटरी की आपूर्ति, इस शर्त के अधीन कि ऐसी लॉटरी की आपूर्ति पर उचित केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, का भुगतान किया गया हो, जब राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त लॉटरी वितरक या बिक्री एजेंट को आपूर्ति की जाती है।
169.	-	एक सरकारी इकाई द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को माल की आपूर्ति, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के बदले में।
170.	कोई भी अध्याय	श्रवण यंत्र के निर्माण के लिए पुर्जे

171.	कोई भी अध्याय 71 को छोड़कर	राखी (अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से बनी राखी को छोड़कर)
172.	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल या मुख्यमंत्री, या किसी भी लोक सेवक द्वारा प्राप्त उपहार वस्तुओं की आपूर्ति, सरकार द्वारा सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से, जहां नीलामी की आय का उपयोग सार्वजनिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए किया जाना है।

स्पष्टीकरण- इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,-

(क) अभिव्यक्तियाँ, -

- (i) "यूनिट कंटेनर" का अर्थ है एक पैकेज, चाहे बड़ा हो या छोटा (उदाहरण के लिए, टिन, कैन, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, या कार्टन, ड्रम, बैरल, या कनस्तर) जो एक पूर्व-निर्धारित मात्रा या संख्या रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऐसे पैकेज पर इंगित किया गया है;
- (ii) "प्री-पैकेज्ड और लेबल किया हुआ" का अर्थ है वे सभी वस्तुएं जो खुदरा बिक्री के लिए अभिप्रेत हैं और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है, जो कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के खंड (1) में परिभाषित "प्री-पैकेज्ड" हैं, जहां, जिस पैकेज में वस्तु प्री-पैकेज्ड है या उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत घोषणाएं करना आवश्यक है;
- (iii) "टैरिफ आइटम", "उप-शीर्षक", "शीर्षक" और "अध्याय" का क्रमशः अर्थ होगा एक टैरिफ आइटम, शीर्षक, उप-शीर्षक और अध्याय जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है;
- (iv) "सरकारी इकाई" का अर्थ एक प्राधिकरण या एक बोर्ड या कोई अन्य निकाय होगा जिसमें एक सोसायटी, ट्रस्ट, निगम शामिल है, जो निम्न है-

(क) संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा स्थापित; या

(ख) किसी भी सरकार द्वारा स्थापित,

इकट्ठी या नियंत्रण के माध्यम से 90 प्रतिशत या अधिक भागीदारी के साथ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए कार्य को करने के लिए;

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची की व्याख्या के नियम, जिसमें अनुभाग और अध्याय नोट्स और पहली अनुसूची के सामान्य व्याख्यात्मक नोट्स शामिल हैं, जहाँ तक हो सके, इस अधिसूचना की व्याख्या पर लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

अनुबंध-I

[अनुसूची का क्रम संख्या 113 देखें]

दवाओं या औषधियों की सूची	
1	जीन थेरेपी
2	अगालसिडेस बीटा
3	इमिग्लुसेरेस
4	एण्टाकॉग अल्फा सक्रिय पुनः संयोजक जमावट कारक VIIaए

5	ओनासेमनोजीन अबेपारवोवेक
6	एस्सिमिनिब
7	मेपोलिजुमैब
8	पेगिलेटेड लाइपोसोमल इरिनोटेकन
9	डाराटुमुमैब
10	डाराटुमुमैब सबक्यूटेनियस
11	टेक्लिस्टामैब
12	एमीवैटामैब
13	एलेक्टिनिब
14	रिसडिप्लाम
15	ओबिनुटुजुमैब
16	पोलाटुजुमैब वेडोटिन
17	एंटेक्टिनिब
18	एटिज़ोलिजुमैब
19	स्पेज़ोलिमैब
20	वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा
21	अगालसिडेस अल्फा
22	रुरियोक्टोकोज अल्फा पेगोल
23	इडुरसल्फेटेज़
24	एल्लुकोसिडेज़ अल्फा
25	लैरोनिडेज़
26	ओलिपुडेज़ अल्फा
27	टेपोटिनिब
28	एवैलमैब
29	एमिसिजुमैब
30	बेलुमोसुडिल
31	मिग्लूस्टैट
32	वेलमानेज़ अल्फा
33	एलिरोक्यूमैब
34	इवोलोक्यूमैब
35	सिस्टामाइन बिटारट्रेट
36	सी1-इनहिबिटर इंजेक्शन
37	इनक्लिसिरन

अनुबंध-II

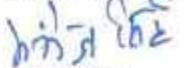
[अनुसूची का क्रम संख्या 161 देखें]

स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्रों की सूची	
1	बुलबुल तरंग
2	"दोतार, दोतोरा, या दोतारा"
3	एकतारा
4	गेच्चू वाद्यम या झल्लारी
5	गोपीचंद या गोपियंत्र या खमक
6	गोटू वाद्यम या चित्रवीणा
7	काठो
8	सरोद
9	सितार
10	सुरबहार
11	सुरश्रृंगार
12	स्वरबत
13	स्वरमंडल
14	तंबूरा
15	तुंबी
16	तुनतुना
17	मगदी वीणा
18	हंसवीणा
19	मोहन वीणा
20	नकुल वीणा
21	नंदुनी
22	रुद्र वीणा
23	सरस्वती वीणा
24	विचित्र वीणा
25	याझ
26	रंजन वीणा
27	त्रिवेणी वीणा
28	चिकारा
29	दिलरुबा
30	एकतारा वायलिन
31	इसराज
32	कमाइचा
33	मयूरी वीणा या ताऊस
34	ओनाविल्लु
35	बेहाला (वायलिन प्रकार)
36	पेना या बाना
37	पुल्लुवन वीणा - एक तार वाला वायलिन
38	रावणहत्था
39	लोक सारंगी

40	शास्त्रीय सारंगी
41	सारिदा
42	तार शहनाई
43	गेथू या झल्लारी
44	गुबगुबा या जमूकू - तालवाद्य स्ट्रिंग वाद्ययंत्र
45	पुल्लुवन कुटम
46	संतूर - हथौड़े वाला कॉर्ड बॉक्स
47	पेपा
48	पुंगी या बीन
49	भारतीय हारमोनियम: डबल रीड
50	कुझल
51	नादस्वरम
52	शहनाई
53	सुंदरी
54	तंगमुरी
55	अलगोजा - डबल बांसुरी
56	बांसुरी
57	वेणु (कर्नाटक बांसुरी) पुल्लांगुझल
58	मशक
59	टिट्टी
60	श्रुति उपंग
61	गोगोना
62	मोरसिंग
63	श्रुति बॉक्स
64	हारमोनियम (हाथ से पंप किया हुआ)
65	एक्कलम
66	करनाल
67	रामसिंगा
68	कहल
69	नागफनी
70	तुरी
71	ढाड
72	डमरू
73	डिमाडी
74	ढोल
75	ढोलक
76	ढोलकी
77	डुग्गी
78	घाट सिंघारी या गदा सिंघारी
79	घुमोट
80	गुम्मेता
81	कंजिरा
82	खोल

83	किनपर और धोपर (आदिवासी ड्रम)
84	मदले
85	मरम
86	मिझावू
87	मृदंगम
88	पखावज
89	पखावज जोड़ी - तबला जैसा सिख वाद्ययंत्र
90	पंचमुख वाद्यम
91	पुंग
92	शुद्ध मदालम या मदालम
93	तबला/तबल/चमेली - गोब्लेट ड्रम
94	तबला
95	तबला तरंग - तबलों का सेट
96	तमटे
97	थंथी पनाई
98	थिमिला
99	"तुंबक, तुंबकनारी, तुंबकनेर"
100	"डफ, डफ, डफ या डफ डिमडी या डिमरी - बिना जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम"
101	कंजिरा - एक जिंगल वाला छोटा फ्रेम ड्रम
102	कांसी - बिना जिंगल के छोटा
103	पतायनी थप्पू - हाथों से बजाया जाने वाला मध्यम फ्रेम ड्रम
104	चेंडा
105	डोलू
106	ढाक
107	ढोल
108	ढोली
109	इडक्का
110	थाविल
111	उडुकाई
112	चांडे
113	नगारा - केटलड्रम की जोड़ी
114	पंबाई - दो बेलनाकार ड्रमों की इकाई
115	"पराई थप्पू हलगी - दो डंडों से बजाया जाने वाला फ्रेम ड्रम"
116	संबल
117	स्टिक डफ या स्टिक डफ - स्टैंड में डफ जिसे डंडों से बजाया जाता है
118	तमक
119	ताशा - एक प्रकार का केटलड्रम
120	उरुमी
121	जलतरंग चिमटा - पीतल के जिंगल के साथ आग का चिमटा
122	चोंगिला - धातु की डिस्क
123	एलथालम
124	गेगेर - पीतल का बर्तन
125	घटम और मटकम (मिट्टी का बर्तन ड्रम)

126	घुंघरू
127	खरताल या चिपल्या
128	मंजीरा या झांझ या ताल
129	नट - मिट्टी का बर्तन
130	संकरजंग - लिथोफोन
131	थाली - धातु की प्लेट
132	थट्टुकझि मन्त्रई
133	कांच तरंग, एक प्रकार का ग्लास हार्प
134	काष्ठ तरंग, एक प्रकार का जाइलोफोन।

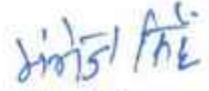
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मंगेज सिंह)
उप-सचिव (वित्त)

फा. सं. 3 (22)/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/925

दिनांक 22/09/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. एस0ओ0, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु अनुरोध सहित।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फाइल


(मंगेज सिंह)
उप-सचिव (वित्त)